## जल संसाधन मंत्रालय

### शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2011

**सा.का.नि. 110.**—जल संसाधन मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय नामत: केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में ड्रीलर-सह-मैकेनिक के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन को अधिसूचित करने के संबंध में दिनांक 13 मार्च, 2010 के सा.का.नि. 52 द्वारा भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3(i) में प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित शुद्धि की जाए :

(1) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, ड्रीलर-सह-मैकेनिक, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010 (2010 का सा.का.नि. 52)

(i) कॉलम (6) के अंतर्गत लिखे गए 'नहीं' के स्थान पर 'लागू नहीं' पढ़ा जाए ।

(ii) कॉलम (8) के अंतर्गत 'टिप्पण 1' को हटा दिया जाए ।

(iii) कॉलम (9) के अंतर्गत लिखे गए 'नहीं' के स्थान पर 'लागू नहीं' पढ़ा जाए ।

[फा. सं. 23/38/2009-सीजीडब्ल्यूबी]

विनीत अब्राहम, अवर सचिव

**टिप्पणी :** मूल नियम भारत के राजपत्र में 23 अप्रैल, 2004 के सा.का.नि. 162 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् 31 मार्च, 2006 के सा.का.नि. 80 और 13 मार्च, 2010 के सा.का.नि. 52 के तहत संशोधन किया गया ।

## MINISTRY OF WATER RESOURCES

### CORRIGENDUM

New Delhi, the 7th March, 2011

**G.S.R. 110.**—In the following notification published in the Gazette of India, Part II, Section 3(i) vide number GSR 52 dated 13th March, 2010 notifying the amendment to Recruitment Rules for the post of Driller-cum-Mechanic in the Central Ground Water Board, a subordinate office of the Ministry of Water Resources, the following correction may be made :—

(1) The Central Ground Water Board, Driller-cum-Mechanic, Group 'C' post Recruitment Rules, 2010 (GSR 52 of 2010)

(i) Under column (6) instead of the existing 'No' the following may be read "Not applicable".

(ii) Under column (8) Note 1 may be deleted.

(iii) Under column (9) instead of the existing 'No' the following may be read "Not applicable".

[F. No. 23/38/2009-CGWB]

VINEETH ABRAHAM, Under Secy.

**Note :** Principal rules were published in the Gazette of India vide number GSR 162 dated 23rd April, 2004 and subsequently amended vide number GSR 80 dated 31st March, 2006 and GSR 52 dated 13th March, 2010.

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2011

**सा.का.नि. 111.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे (परा-चिकित्सा कर्मचारिवृंद, समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1988 को, जहां तक उसका संबंध भेषजज्ञ के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय के केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे में भेषजज्ञ के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, भेषजज्ञ, समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

**2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों में उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .**—इससे संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

**4. निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो यह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

**5. शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

**6. व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

## अनुसूची

| पद का नाम | पद संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान | चयन अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| भेषजज्ञ | 01*(2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन बैंड-1 5200—20200 रुपए + ग्रेड वेतन 2800 रु. | लागू नहीं होता | 20 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है )। **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। **टिप्पण 2 :** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह |

| | |
|---|---|
| | (6) |
| | अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है । |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो |
|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) |
| 1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10 + 2 या समतुल्य;<br>2. किसी मान्यताप्राप्त संस्था से दो वर्ष की अवधि का भेषजी में डिप्लोमा<br>3. किसी मान्यताप्राप्त संस्था से भेषजी में तीन मास का प्रशिक्षण और<br>4. केन्द्रीय या राज्य भेषज परिषद् में भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकृत ।<br>**टिप्पण 1 :** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । | लागू नहीं होता | दो वर्ष |

| **भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा |
|---|---|
| (10) | (11) |
| सीधी भर्ती | लागू नहीं होता |

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|
| (12) | (13) |
| **पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—**<br>1. संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे —अध्यक्ष<br>2. चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे —सदस्य<br>3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग से एक समूह 'क' अधिकारी —सदस्य | लागू नहीं होता । |

[फा. सं. 2/4/99-स्था. II]

एल. पी. शर्मा, अवर सचिव

New Delhi, the 18th March, 2011

**G.S.R. 111.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of Central Water and Power Research Station, Pune, (Para Medical Staff, Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1988, in so far as they relate to the post of Pharmacist, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Pharmacist in the Ministry of Water Resources, the Central Water and Power Research Station, Pune, namely :—

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, the Central Water and Power Research Station, Pune, Pharmacist, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—**The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scales attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification. —**No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of post | Number of post | Classification | Pay Band and Grade Pay or Pay Scale | Whether Selection post or Non-selection post | Age limit for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Pharmacist | 01* (2011) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Services, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial | Pay Band-1 Rs. 5200—20200 plus Grade Pay Rs. 2800 | Not applicable | Between 20 to 27 years. (Relaxable for Government servants up to the age of 40 years in the case of general candidates and up to 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1 :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, |

| (6) |
|---|
| Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).<br>**Note 2 :** In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names. |

| Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any |
|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) |
| (1) 10 +2 or equivalent from a recognized Board;<br>(2) two years duration diploma in Phamacy from a recognised institution;<br>(3) three months training in Pharmacy from a recognised institution; and<br>(4) registered as Pharmacist with the Central or State Pharmacy Council.<br>**Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in case of candidates otherwise well qualified. | Not applicable | Two years |

| **Method of recruitment :** Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made |
|---|---|
| (10) | (11) |
| Direct recruitment | Not applicable |

| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment |
|---|---|
| (12) | (13) |
| **Group 'C' Departmental Promotion Committee for confirmation, consisting of :—**<br>1. Joint Director, Central Water and Power Research Station, Pune —Chairman<br>2. Medical Officer, Central Water and Power Research Station, Pune —Member<br>3. A Group 'A' Officer from any other Central Government Department —Member | Not applicable. |

[F. No. 2/4/99-E. II]

L. P. SHARMA, Under Secy.